



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28112025-268017
CG-DL-E-28112025-268017

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5183]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24, 2025/अग्रहायण 3, 1947

No. 5183]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 2025/AGRAHAYANA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2025

का.आ. 5359(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३क की उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् घोषणा करती है कि महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १६६ जी के कि.मी. ३५/३०० से कि.मी. ६६/००० गगनबावडा—साळवण- कळे तक के भू-खंड के निर्माण (चौड़ीकरण /पेव्ड शोल्डर सहित २-लेन /४-लेन का बनाना आदि)अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा ३ग की उप-धारा (१) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उपविभागीय अधिकारी करवीर, विभाग कोल्हापुर को लिखित रूप में किया जायगा और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३१ की उप-धारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १६६जी के कि.मी. ३५/३०० से कि.मी. ६६/००० गगनबावडा-साळवण-कळे लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: कोल्हापूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पन्हाला					
गांव का नाम: खेरीवडे					
1	107/B	निजी	कृषक	0.0055 (हेक्टेयर)	0.0055
2	108/B	निजी	कृषक	0.0292 (हेक्टेयर)	0.0292
3	109	निजी	कृषक	0.0112 (हेक्टेयर)	0.0112
4	110	निजी	कृषक	0.0006 (हेक्टेयर)	0.0006
5	113/A	निजी	कृषक	0.0044 (हेक्टेयर)	0.0044
6	116	निजी	कृषक	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
7	20	निजी	कृषक	0.0036 (हेक्टेयर)	0.0036
8	21/A	निजी	कृषक	0.0513 (हेक्टेयर)	0.0513
9	21/B	निजी	कृषक	0.0074 (हेक्टेयर)	0.0074
10	32	निजी	कृषक	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
11	33	निजी	कृषक	0.0064 (हेक्टेयर)	0.0064
गांव का नाम: आसगांव					
12	301	निजी	कृषक	0.0032 (हेक्टेयर)	0.0032
13	305	निजी	कृषक	0.0006 (हेक्टेयर)	0.0006
14	307	निजी	कृषक	0.0044 (हेक्टेयर)	0.0044
15	321	निजी	कृषक	0.0021 (हेक्टेयर)	0.0021
16	323	निजी	कृषक	0.0302 (हेक्टेयर)	0.0302
17	325	निजी	कृषक	0.0003 (हेक्टेयर)	0.0003
18	326	निजी	कृषक	0.0019 (हेक्टेयर)	0.0019
19	331/A	निजी	कृषक	0.0001 (हेक्टेयर)	0.0001
20	347	निजी	कृषक	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
तालुक का नाम: गगनबावडा					
गांव का नाम: पळसंबे					
21	47/A	निजी	कृषक	0.35 (हेक्टेयर)	0.35

22	49/1, 49/2	निजी	कृषक	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
गांव का नाम: खडूळे					
23	88/1, 88/2	निजी	कृषक	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
Total					0.5588

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2023-24/22/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2025

S.O. 5359(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for **Construction of Building (widening/two lane with paved shoulder/ four laning etc.) maintenance, management and operation of National Highway No. 166G in the stretch of land from Km. 35/300 to Km. 66/000 Gaganbavda- Salvan- Kale in the District of Kolhapur in the state of MAHARASHTRA**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Sub Divisional Officer Karveer Division ,Kolhapur** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either Allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling National Highway No. 166G in the stretch of land from Starting at Km. 35/300 to Km. 66/000 Gaganbavda- Salvan- Kale in the District of Kolhapur in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: KOLHAPUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Panhala					
Village: Kherivade					
1	107/B	Private	Agriculture	0.0055 (Hectare)	0.0055
2	108/B	Private	Agriculture	0.0292 (Hectare)	0.0292

3	109	Private	Agriculture	0.0112 (Hectare)	0.0112
4	110	Private	Agriculture	0.0006 (Hectare)	0.0006
5	113/A	Private	Agriculture	0.0044 (Hectare)	0.0044
6	116	Private	Agriculture	0.024 (Hectare)	0.024
7	20	Private	Agriculture	0.0036 (Hectare)	0.0036
8	21/A	Private	Agriculture	0.0513 (Hectare)	0.0513
9	21/B	Private	Agriculture	0.0074 (Hectare)	0.0074
10	32	Private	Agriculture	0.004 (Hectare)	0.004
11	33	Private	Agriculture	0.0064 (Hectare)	0.0064
Village: Asagaon					
12	301	Private	Agriculture	0.0032 (Hectare)	0.0032
13	305	Private	Agriculture	0.0006 (Hectare)	0.0006
14	307	Private	Agriculture	0.0044 (Hectare)	0.0044
15	321	Private	Agriculture	0.0021 (Hectare)	0.0021
16	323	Private	Agriculture	0.0302 (Hectare)	0.0302
17	325	Private	Agriculture	0.0003 (Hectare)	0.0003
18	326	Private	Agriculture	0.0019 (Hectare)	0.0019
19	331/A	Private	Agriculture	0.0001 (Hectare)	0.0001
20	347	Private	Agriculture	0.0004 (Hectare)	0.0004
Taluk: GaganBavda					
Village: Palsambe					
21	47/A	Private	Agriculture	0.35 (Hectare)	0.35
22	49/1, 49/2	Private	Agriculture	0.017 (Hectare)	0.017
Village: Khadule					
23	88/1, 88/2	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
Total					0.5588

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2023-24/22/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director